



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1281 / अका./ वि.प.स्थायी समिति / 2014

रायपुर, दिनांक: 11 / 09 / 2014

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 09.09.2014 अपराह्न 03.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	-	सदस्य
3.	प्रो. भगवन्त सिंह	-	सदस्य
4.	प्रो. स्वर्णलता सराफ	-	सदस्य
5.	प्रो. सी.डी. अगाशे	-	सदस्य
6.	प्रो. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
7.	प्रो. ओ.पी. चन्द्राकर	-	सदस्य
8.	प्रो. एस.सी. नैथानी	-	सदस्य
9.	प्रो. अब्दुल अलीम खान	-	सदस्य
10.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.08.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर, जिला-रायपुर	B.Com.-III -	120	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 19.08.2014</p> <p>पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 612/अका./2014 दिनांक 28.06.2014 के परिपालन में आज निरीक्षण समिति के समन्वयक प्रो. आर.पी. दास एवं सदस्य प्रो. पी.सी. अग्रवाल ने अवलोकन किया।</p> <p>समिति ने निरीक्षण में पाया कि शास. महाविद्यालय, अभनपुर में अधोसंरचना पर्याप्त है संतोषप्रद है।</p> <p>समिति एक सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) में नियुक्ति की और ग्रंथालय हेतु 10000/-की पुस्तकें और क्रय करने की अनुशंसा करती है।</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
2	डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर	एम.एस.सी. अंतिम वर्ष (गणित)	25	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 30.08.2014 अधोसंरचना संतोषजनक है। शर्तें :-</p> <p>1. विश्वविद्यालय के नियमों एवं परिनियमों का पालन किया जावे। 2. आवश्यक शुल्क जमा किया जावे।</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
		पी.जी.डी.सी.ए.	30			
		बी.काम.-प्रथम वर्ष	60			
		एम.ए. अंतिम वर्ष (राजनीति शास्त्र)	25			
		एम.ए. अंतिम वर्ष (हिन्दी)	30	2013-14	<p>3. गणित में 75 हजार, पी.जी.डी.सी. में 40 हजार, बी.काम. में 30 हजार, राजनीति शास्त्र में 30 हजार हिंदी में 30 हजार रूपयों की पुस्तकें क्रय करने। 4. गणित में एक, पी.जी.डी.सी.ए. में एक, राजनीति शास्त्र में दो एवं हिंदी में 2 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करने की शर्तों की पूर्ति के शर्त पर एम.एस.सी. गणित अंतिम, पी.जी.डी.सी.ए., बी.काम. प्रथम वर्ष, एम.ए. अंतिम राजनीति, एम.ए. अंतिम हिंदी सत्र 2014-15 से प्रारंभ करने पर विचार किया जा सकता है।</p>	
3	देव संस्कृति कालेज आफ एजुकेशन एंड टेक्नालॉजी, खपरी, दुर्ग	PGDCA	30	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि : 21.08.2014 पत्र क्र. 979/अका./2014 दिनांक 14.08.2014 के संदर्भ में PGDCA 30 सीट के लिये निरीक्षण किया और पाया :-</p> <p>1. अधोसंरचना संतोषजनक है। 2. कंप्यूटर प्रयोगशाला में 10 और कंप्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है। 3. वाचनालय में (ग्रंथालय) में पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक विषय की 10-10 पुस्तक क्रय करने की आवश्यकता है। 4. विश्वविद्यालय परिनियम 28 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाये। 5. पाठ्यक्रम से संबंधित लाइसेन्सड सॉफ्टवेयर क्रय किये जाये।</p>	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
4	अग्रसेन महाविद्यालय पुरानी बस्ती, रायपुर	New Course B.B.A. -I D.C.A. M.S.W. - Prev. Seat Increase B.Com.-I	30 30 20 30	2014-15	निरीक्षण तिथि : 21.08.2014 पत्र क्र. 922/अका./2014 दिनांक 08.08.2014 के संदर्भ में निरीक्षण किया और पाया कि :- 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. D.C.A. (30 सीट) के लिये 15 और कम्प्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है। 3. परिनियम 28 में दो कम्प्यूटर शिक्षकों को नियुक्त करना आवश्यक है। 4. पुस्तकालय में D.C.A. पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक विषय की कम से कम 5-5 पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है। 5. College has adequate books in library for commerce and appointed 3 Teachers under 28 and 3 more are working on adhoc basis. 6. For running BBA programme they have to procure books worth Rs. 10,000 and already appointed one Teacher under Sec. 28 and one more need to be appointed. 7. For MSW programme two teachers are identified but are to be appointed under section 28. 8. Books worth Rs. 5000/- are urgently to be purchased from MSW programme. 8 classrooms are already existing and 4 are under construction will be under use within a month time. So infrastructure is adequate.	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।

03. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेशानुसार, शासकीय महाविद्यालयों में नवीन विषय एवं सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के आदेशानुसार नवीन विषय प्रारंभ करने एवं सीट वृद्धि के लिए महाविद्यालय से आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार सम्बद्धता की कार्यवाही की जावे।

04. अविवा कालेज, बैरन बाजार, रायपुर की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अविवा कॉलेज बैरन बाजार, रायपुर का सत्र 2014-15 से अस्थायी सम्बद्धता समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है। महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त होने के पश्चात् महाविद्यालय देनदारियाँ अथवा अन्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समस्त जवाबदारी महाविद्यालय/प्रबंधन की होगी।

05. राजनांदगांव कालेज ऑफ कामर्स एंड आई.टी. राजनांदगांव के सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : राजनांदगांव कालेज ऑफ कामर्स एंड आई.टी. राजनांदगांव का सत्र 2014-15 से अस्थायी सम्बद्धता समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है। महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त होने के पश्चात् देनदारियाँ अथवा अन्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समस्त जवाबदारी महाविद्यालय/प्रबंधन की होगी।

06. निम्नलिखित महाविद्यालयों की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना -

1. ए.के.एस. महाविद्यालय, भेण्डरा, जिला-धमतरी
2. गरीब नवाज उर्दू महाविद्यालय, बैजनाथपारा, रायपुर
3. श्री महावीर जैन कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, पुलगांव चौक, दुर्ग
4. क्रेडेन्स गर्ल्स कॉलेज, पटेल काम्पलेक्स, पद्मनाभपुर, दुर्ग

निर्णय : 1. ए.के.एस. महाविद्यालय, भेण्डरा, जिला-धमतरी
2. गरीब नवाज उर्दू महाविद्यालय, बैजनाथपारा, रायपुर
3. श्री महावीर जैन कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, पुलगांव चौक, दुर्ग
4. क्रेडेन्स गर्ल्स कॉलेज, पटेल काम्पलेक्स, पद्मनाभपुर, दुर्ग

उपरोक्त 04 महाविद्यालयों की सत्र 2014-15 से अस्थायी सम्बद्धता समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है। महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त होने के पश्चात् देनदारियाँ अथवा अन्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समस्त जवाबदारी महाविद्यालय/प्रबंधन की होगी।

07. Revised Regulation 149-B के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत संकायाध्यक्ष, विधि संकाय एवं अध्यक्ष, विधि अध्ययन मण्डल से परीक्षण कराया जावे तथा उनसे प्राप्त अनुशंसा कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जावे।

08. Revised Regulation 149-E के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : Ordinance 74 के संचालित M.Lib. I.Sc. Course में Grade एवं Credit Point शामिल करने हेतु तैयार Regulation 149 E द्वारा Marksheet/Result तैयारी के दौरान तकनीकी त्रुटी (Conflict between Ordinance 74 and Regulation 149 E) को ध्यान में रखते हुए Regulation 149 E में निम्नानुसार प्रस्तावित संशोधन की अनुशंसा की गई -

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
S.No. 3 A student shall be awarded Masters of Library and Information Science who has obtained at least 5 Grade Point in theory/internal assessment and a minimum of 6.0 Semester Grade Point Average (SGPA) Average (SGPA) in each Semester. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be calculated based upon SGPA of all two semesters.	S.No. 3 A student shall be awarded Masters of Library and Information Science who has obtained at least 5 Grade Point in theory/internal assessment and a minimum of 5 Semester Grade Point Average (SGPA) Average (SGPA) in each Semester. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be calculated based upon SGPA of all two semesters.
S.No. 7 A student failing to appear or securing less than 6.0 SGPA in any semester examination shall be allowed to pursue the courses for the next following semester. Such students shall have failed or failed in aggregate (with ATKT) or ATKT status in I and II semesters and their scheme of examination shall be as follows:	S.No. 7 A student failing to appear or securing less than 5 SGPA in any semester examination shall be allowed to pursue the courses for the next following semester. Such students shall have failed or failed in aggregate (with ATKT) or ATKT status in I and II semesters and their scheme of examination shall be as follows:

i. A student failing to qualify the examinations of any semester shall be permitted to appear in the ATKT/reexamination along with the following semester examination.	i. A student failing to qualify the examinations of any semester shall be permitted to appear in the ATKT/reexamination along with the following semester examination.
ii. The provision of revaluation and re-totaling will not be available.	ii. The provision of revaluation and re-totaling will not be available.

09. आंतरिक मूल्यांकन के अंक स्वीकार करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : आंतरिक परीक्षा/मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने एवं सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर संबंधित परीक्षार्थी को केवल सैद्धांतिक परीक्षा देनी होगी तथा आंतरिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के अंक पूर्व के ही होंगे। आंतरिक मूल्यांकन की समस्त प्रक्रिया सैद्धांतिक परीक्षा के 10 दिन पूर्व सम्पन्न कराकर उसके अंक विश्वविद्यालय को भेजी जावे। आंतरिक परीक्षा/मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावे।

10. 0.50 से 0.14 परफार्मेंस इंडेक्स प्राप्त महाविद्यालयों पर की गई कार्यवाही के संबंध में विचार करना।

निर्णय : महाविद्यालयों के परफार्मेंस इंडेक्स के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

- (1) वे महाविद्यालय जिनका परफार्मेंस इंडेक्स 0.14 से 0.50 होने के फलस्वरूप शिक्षकों की नियुक्ति एवं अन्य पूर्ति हेतु पत्र भेजने पर कोई जवाब प्राप्त नहीं हुए, उन्हें सम्बद्धता समाप्त करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।
- (2) ऐसे 37 महाविद्यालय जिन्होंने परिनियम 28 के तहत विज्ञापन का अनुमोदन करा लिया है, वे चार माह की अवधि के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही कर विश्वविद्यालय को अवगत कराया जावे अन्यथा उनके विरुद्ध सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
- (3) ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने पत्र पर कार्यवाही करते हुए परफार्मेंस इंडेक्स में वृद्धि किया है परन्तु परफार्मेंस इंडेक्स 0.50 से कम है वे अपने परफार्मेंस इंडेक्स में वृद्धि करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही 4 माह के अंदर पूरा करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
- (4) ऐसे महाविद्यालय जिनका परफार्मेंस इंडेक्स 0.6 या 0.6 से अधिक है वे पुनः परफार्मेंस इंडेक्स वृद्धि के लिए कमी की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करें, जिससे उन्हें प्रत्येक वर्ष 1 मई को प्रदान किये जाने वाले ट्राफी के लिए शामिल किया जा सके।

11. दुर्गा महाविद्यालय में एम.फिल. वाणिज्य एवं राजनीति शास्त्र के सीट निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : सभी एम.फिल. पाठ्यक्रमों में प्रवेश संख्या की समानता को ध्यान में रखते हुए सत्र 2015-16 से एम.फिल. वाणिज्य में 10 सीट एवं राजनीति विज्ञान में 10 सीट निर्धारित किया जावे।


12. सत्र 2014-15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम
1	बी.एम. कालेज, कोलिहापुरी, पुलगांव, दुर्ग जिला-दुर्ग
2	संत राजा राम सदाणी नागरिक महाविद्यालय, डौंडी लोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)
3	स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको भिलाई जि.-दुर्ग
4	छत्तीसगढ़ कल्याण शिक्षा महाविद्यालय, नंदिनी रोड, अहेरी, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)
5	कर्मा माता कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, जामगांव (आर) जिला-दुर्ग (छ.ग.)
6	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
7	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
8	भारती कालेज (बी.आई.आई.टी.) महाविद्यालय, पुलगांव चौक, दुर्ग (छ.ग.)
9	समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम-फरी, पोस्ट-बिजभाटा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)


10	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा
11	भिलाई स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, प्लॉट नं. 1268, ग्राम-चंद्रखुरी, जिला-दुर्ग
12	शास. दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उत्तई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
13	शास. मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजा, जिला- बलौदाबाजार
14	शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय, गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)
15	शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला, जिला-बालोद (छ.ग.)
16	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बलौदा, जिला-महासमुंद
17	शास. एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.)
18	आचार्य पंथ श्री गृंध मुनि नाम साहेब शास. महाविद्यालय, कवर्धा, जिला-कबीरधाम
19	शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.)
20	सांदिपनी एकेडमी, अछोटी, प्लॉट नं. 44, तह.-धमधा, मुस्मुंदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
21	खालसा एजुकेशन सोसायटी, जी.ए.डी. कालोनी, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)
22	अपोलो कॉलेज, शास. वेटनरी कालेज के सामने, अंजोरा, दुर्ग
23	भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई नगर (छ.ग.)
24	आर्यावर्त शिक्षा महाविद्यालय, रूआबांधा, भिलाई, जिला-दुर्ग
25	शास. डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर, कन्या महाविद्यालय दुर्ग
26	शासकीय महाविद्यालय, जामगांव-आर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
27	शास. चंदूलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
28	शास. महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)(सत्र 2013-14)
29	शास. कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला-गरियाबंद(सत्र 2013-14)
30	भिलाई कॉलेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी वार्ड नं.-4, दुर्गा मंदिर वार्ड, जामुल, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
31	दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
32	शांति निकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोराभाटा, रायपुर छ0ग0)
33	दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)
34	जगद्गुरु शंकराचार्य कालेज ऑफ एजुकेशन, आमदी नगर, हुडको, भिलाई

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2014-15 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। बी.एड. महाविद्यालयों में शिक्षकों की जानकारी एवं बी.एड. संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त होने पर ही उनके सम्बद्धता आदेश निर्गमित किये जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति

अध्यक्ष



कुलसचिव

सचिव

पृ. क्र. 1282/अका./वि.प.स्थायी समिति/2014
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 11 / 09/2014

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)